2011 की आपराधिक अपील संख्या 1480

रिपोर्ट करने योग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

2011 की आपराधिक अपील संख्या 1480
(2010 की एस एल पी (सीआरएल) संख्या 10543 से उत्पन्न)

हरभजन सिंह ... अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य ... उत्तरदाता

निर्णय

राजेश बिंदल, जे.

1. अपीलकर्ता-हरभजन सिंह को 18.05.2005 को ट्रायल कोर्ट द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 25 (इसके बाद "एनडीपीएस अधिनियम"के रूप में संदर्भित) के तहत पारित फैसले के तहत दोषी ठहराया गया था और दस साल की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। अपील में, उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2010 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया था।इन आदेशों को इस न्यायालय में चुनौती दी जा रही है।

2. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता उस ट्रक का स्वामी था जिसका पंजीकरण संख्या पीएटी/2029 था। यह हनुमान मंदिर, हिसार रोड, ग्राम अग्रोहा के पास दिनांक 15.05.2000 को रात 9:00 बजे पलट गई।गश्ती ड्यूटी पर तैनात पुलिस दल द्वारा दी गई जानकारी पर 16.05.2000 को अपराह्न 4:25 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) संख्या 68 दर्ज की गई। पुलिस पार्टी को दो गवाहों राम सरूप (पीडब्लू-6) और नरेश कुमार (पीडब्लू-10) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15.05.2000 को रात लगभग 9 बजे दुर्घटना हुई जब ट्रक डिवाइडर से टकरा गया।चालक और क्लीनर ट्रक से बाहर आए और उक्त गवाहों द्वारा पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम जोगिंदर सिंह पुत्र जंग सिंह और गुरमेल सिंह पुत्र नछत्तर सिंह बताया।उन्होंने ट्रक के मालिक का नाम हरभजन सिंह बताया।इसके बाद चालक व क्लीनर

मालिक को बुलाने के बहाने से चले गए, लेकिन वापस नहीं लौटे।पुलिस को संदेह हुआ कि ट्रक में रखे बैग में कुछ प्रतिबंधित पदार्थ थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें उतारा और उन्हें हिरासत में ले लिया।सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए।जॉच के बाद, जोगिंदर सिंह, गुरमेल सिंह और अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।ट्रायल कोर्ट/ निचली अदालत ने जोगिंदर सिंह और गुरमेल सिंह को बरी कर दिया, क्योंकि दो गवाहों, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के अनुसार ट्रक के चालक और क्लीनर/खलासी के नामों के बारे में पुलिस पार्टी को सूचित किया था, को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था। हालांकि, अपीलकर्ता, जो ट्रक का पंजीकृत मालिक था, को एनडीपीएस की धारा 25 के तहत दोषी ठहराया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया संक्षिप्त तर्क यह है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25 में प्रावधान है कि वाहन के मालिक को केवल तभी दोषी ठहराया जा सकता है जब वह जानबूझकर किसी अपराध के लिए अपने वाहन का उपयोग करने की अनुमति देता है। अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया था।यहां तक कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 में उपबंधित उपधारणा को भी नहीं उठाया जा सकता क्योंकि अभियोजन पक्ष मूलभूत तथ्यों को साबित करने के अपने प्रारंभिक बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा था।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत दर्ज अपीलकर्ता के बयान में, यह प्रस्तुत किया गया था कि उसने रेत ले जाने के लिए ट्रक कश्मीर सिंह पुत्र होशियार सिंह निवासी दलेल सिंहवाला को किराए पर दिया था।अपीलार्थी को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया था।ट्रक के चालक और क्लीनर को पहले ही बरी कर दिया गया है और राज्य ने उनकी रिहाई को चुनौती देने के लिए कोई अपील दायर नहीं की है।अपने तर्कों के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने **बलविंदर सिंह बनाम सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (1) {(2005) 4 एससीसी 146}, पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, नारकोटिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, मदुरा, तमिलनाडु बनाम राजंगम (2) {(2010) 15 एससीसी 369}, भोला सिंह बनाम पंजाब राज्य (3) {(2011) 11 एससीसी 653} और गंगाधर उर्फ गंगाराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (4) {(2020) 9 एससीसी 202}** में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है कि ट्रक का उपयोग किसी भी अवैध गतिविधियों के लिए नहीं किया जा रहा था। ट्रक का मालिक परोक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है।हालांकि उनके द्वारा स्टैंड लिया गया था कि ट्रक रेत ले जाने

के लिए दिया गया था लेकिन उनके द्वारा अपनी दलील को साबित करने के लिए ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया था।प्रकल्पना/धारणा उसके खिलाफ जाती है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और संबंधित संदर्भित अभिलेख का अवलोकन किया।

6. ऊपर देखे गए मामले के मूल तथ्य विवाद में नहीं हैं। अपीलकर्ता, जो ट्रक का पंजीकृत मालिक है, को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा एक मामला स्थापित किया गया था कि जोगिंदर सिंह और गुरमैल सिंह ट्रक के चालक और क्लीनर थे।यहां तक कि उन्हें भी मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया था।उनकी पहचान राम सरूप (पीडब्ल्यू-6) और नरेश कुमार (पीडब्ल्यू-10) द्वारा पुलिस पार्टी को दी गई सूचना के आधार पर स्थापित की गई थी।हालांकि कोर्ट में पेश होने पर उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।जोगिंदर सिंह और गुरमेल सिंह को बरी कर दिया गया।अपीलकर्ता ट्रक का मालिक है।उसे मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया।एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25 में यह प्रावधान है कि यदि किसी वाहन का मालिक जानबूझकर उसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी अपराध के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है, तो उसे तदनुसार दंडित किया जाएगा।

7. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री पेश करने में विफल रहा है कि विचाराधीन वाहन का उपयोग, यदि किसी अवैध गतिविधि के लिए किया गया था, तो अपीलार्थी की जानकारी और सहमति से किया गया था। यहां तक कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 के तहत प्रदान की गई धारणा/प्रकल्पना भी इस कारण से उपलब्ध नहीं होगी कि अभियोजन पक्ष मूलभूत तथ्यों को साबित करने के लिए उस पर प्रारंभिक बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा था।इसके अभाव में जिम्मेदारी अभियुक्त पर स्थानान्तरित (शिफ्ट) नहीं होगी।

8. इस न्यायालय द्वारा भोला सिंह के मामले (उपरोक्त) में इस मुद्दे पर विचार किया गया था। यह राय व्यक्त की गई थी कि जब तक वाहन का उपयोग उसके मालिक की जानकारी और सहमति से नहीं किया जाता है, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25 की प्रयोज्यता के लिए अनिवार्य है, तब तक इसके तहत दोषसिद्धि को कानूनी रूप से बरकरार नहीं रखा जा सकता है।इसके प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिए गए हैंः

> "8. हमने विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है। हम देखते हैं कि अधिनियम की धारा 25 वर्तमान मामले में लागू नहीं होगी क्योंकि यह इंगित

करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि भोला सिंह, अपीलकर्ता ने या तो जानबूझकर किसी अनुचित उद्देश्य के लिए वाहन के उपयोग की अनुमति दी थी।इस प्रकार अधिनियम की धारा 25 की प्रयोज्यता के लिए अनिवार्य शर्त साबित नहीं होती है।

9.हालाँकि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 35 के तहत अपीलार्थी के खिलाफ एक धारणा/प्रकल्पना तैयार की है। इस प्रावधान को नीचे दोहराया गया हैः

> "35. **आपराधिक मानसिक स्थिति की धारणा/प्रकल्पना**. —(1) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के किसी अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की मानसिक दशा अपेक्षित है, न्यायालय यह उपधारणा/प्रकल्पना करेगा कि अभियुक्त की ऐसी मानसिक दशा है किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करना एक प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के बारे में उसकी वैसी मानसिक दशा नहीं थी ।
>
> स्पष्टीकरण इआ के अन्तर्गत इरादा, उद्देश्य, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या उस पर विश्वास करने का कारण शामिल है ।
>
> (2) इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई तथ्य केवल तभी साबित किया गया कहा जाता है जब न्यायालय युक्तियुक्त संदेह से परे यह विश्वास करे कि वह तथ्य विद्यमान है और केवल इस कारण नहीं कि उसकी विद्यमानता अधिसंभाव्यता की प्रबलता के कारण सिद्ध होती है ।

10. अधिनियम की धारा 54 और धारा 35 के तहत उठाई गई उपधारणा/प्रकल्पना के संदर्भ में कब्जे के सवाल से निपटते हुए, इस न्यायालय ने **नूर आगा बनाम पंजाब राज्य** (2008) 16 एससीसी 417 में धारा 35 की संवैधानिक वैधता को कायम रखते हुए कहा कि चूंकि इस धारा ने एक अभियुक्त पर भारी उल्टा बोझ डाला है (that as this section imposed a heavy reverse burden on an accused), इस और अन्य संबंधित धाराओं की प्रयोज्यता के लिए शर्तों को तथ्यों पर स्पष्ट करना होगा और अभियोजन पक्ष द्वारा

मूलभूत तथ्यों को साबित करने के लिए प्रारंभिक बोझ का निर्वहन करने के बाद ही धारा 35 लागू होगी।

11. उपरोक्त मामले में वर्तमान मामले के तथ्यों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि यह साबित करने का प्रारंभिक भार कि अपीलकर्ता को यह ज्ञान था कि उसके स्वामित्व वाले वाहन का उपयोग नशीले पदार्थों के परिवहन के लिए किया जा रहा था, अभी भी अभियोजन पक्ष पर है, जैसा कि "जानबूझकर"शब्द से स्पष्ट होगा, और यह सबूत के उचित संदेह से परे साबित होने के बाद ही था कि उसे ज्ञान था धारा 35 के तहत अनुमान उत्पन्न होता है।धारा 35 में यह भी उपधारणा/ प्रकल्पना की गई है कि किसी अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति को युक्तियुक्त संदेह से परे एक तथ्य के रूप में साबित किया जाना चाहिए न कि केवल तब जब इसका अस्तित्व संभाव्यताओं की प्रचुरता द्वारा स्थापित किया जाता है। हमारी राय है कि अपीलकर्ता की मानसिक स्थिति के संबंध में किसी साक्ष्य के अभाव में धारा 35 के तहत कोई उपधारणा/प्रकल्पना नहीं बनाई जा सकती है। एकमात्र सबूत जिस पर अभियोजन पक्ष भरोसा करना चाहता है, वह राजस्थान में अपना आवासीय पता देने में अपीलकर्ता का आचरण है, हालांकि वह हरियाणा के फतेहाबाद का निवासी था और अपीलकर्ता ट्रक को सुपरदारी पर लिया था। उल्लंघन करने वाले ट्रक का पंजीकरण किसी भी तरह की कल्पना से उसे चालक और अन्य लोगों द्वारा इसके दुरुपयोग के ज्ञान के साथ बाध्य नहीं कर सकता है।

(जोर दिया गया)

9. मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि एफआईआर संख्या 68 दिनांक 16.05.2000 को सब-इंस्पेक्टर राम मेहर (पीडब्लू-8) की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जो गश्त (पैट्रॉल) ड्यूटी पर था जब यह पाया गया कि ट्रक संख्या. पी. ए. टी./2029 उल्टा हुआ पड़ा था और पाउडर के थैले बिखरे हुए थे। उन्हें पास के स्थान के दो दुकानदारों, अर्थात् राम सरूप (पीडब्ल्यू-6) और नरेश कुमार (पीडब्ल्यू-10) द्वारा सूचित किया गया कि दुर्घटना 15.05.2000 को रात 9 बजे हुई थी।दुर्घटना के बाद, चालक और

क्लीनर/खलासी ट्रक के केबिन से बाहर आए और उक्त गवाहों द्वारा पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम जोगिंदर सिंह पुत्र जंग सिंह व गुरमैल सिंह पुत्र नछत्तर सिंह बताया।उन्होंने खुद को ट्रक का चालक और क्लीनर/खलासी बताया।वे उक्त दुर्घटना के बारे में ट्रक के मालिक को सूचित करने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे।ट्रक में प्रतिबंधित पदार्थ होने की आशंका होने पर ट्रक व प्रतिबंधित सामान दोनों को कब्जे में ले लिया गया।

10. अभियोजन पक्ष के ग्यारह गवाह पेश किए गए।अभियोजन पक्ष के दो गवाह राम सरूप (पीडब्लू-6) और नरेश कुमार (पीडब्लू-10) को इस कारण से प्रासंगिक कहा जा सकता है कि प्राथमिकी में उनके नाम गवाहों के रूप में उल्लिखित किए गए थे जिन्होंने पुलिस पार्टी को ट्रक के चालक और क्लीनर/खलासी के नामों के बारे में सूचित किया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि कोई घटना उनकी उपस्थिति में हुई थी या उन्होंने पुलिस पार्टी को कुछ भी सूचित किया था। दोनों को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।उन्होंने ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर/खलासी की भी पहचान नहीं की।पीडब्लू-7 एएसआई राम सरूप पुलिस स्टेशन अग्रोहा में सब-इंस्पेक्टर राम मेहर (पीडब्लू-8) के साथ तैनात थे, जो प्राथमिकी के लेखक थे।अपने साक्ष्य में प्राथमिकी में कही गई बातों को दोहराने के अलावा, उन्होंने कहा कि 19.05.2000 को नई अनाज मंडी, बरवाला निवासी बलवान सिंह पुत्र चतर सिंह ने कहा कि जोगिंदर सिंह पुत्र जंग सिंह और गुरमेल सिंह पुत्र नछत्तर, कथित ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर/खलासी ने उनके सामने कहा कि वे हरभजन सिंह के निर्देश पर चूरापोस्त के इक्कीस बैग/थैले पाउडर के साथ राजस्थान से लाए हैं और अग्रोहा में उनका ट्रक पलट गया। चूंकि पुलिस दल उनकी तलाश में था, उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस के सामने पेश किया जाए।तथ्य यह है कि बलवान सिंह पुत्र चतर सिंह को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया था।अभियोजन पक्ष द्वारा यह मामला स्थापित करने की चेष्टा की गई है कि ट्रक के चालक और क्लीनर/ खलासी ने बलवान सिंह पुत्र चतर सिंह के समक्ष अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति (extra judicial confession) की।राम मेहर, जो प्राथमिकी का लेखक है, पीडब्लू-8 के रूप में पेश हुआ।उनके बयान में भी अपीलकर्ता के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया है। उन्होंने जांच के दौरान दर्ज बलवान सिंह पुत्र चतर सिंह के बयान का भी जिक्र किया, जिसे साक्ष्य के तौर पर पेश नहीं किया गया।

11. अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में सभी सुझावों का खंडन किया। अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किये गए पूरे साक्ष्य में, मूलभूत तथ्यों को साबित करने के लिए यानि प्रारंभिक बोझ का निर्वहन करने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ कोई सामग्री पेश नहीं की गई थी कि

अपराध अपीलकर्ता की जानकारी और सहमति से किया गया था।यह एक ऐसा मामला है जिसमें वह वाहन के साथ नहीं था और न ही उसे दुर्घटना के समय घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था या जब ट्रक और प्रतिबंधित सामान को हिरासत में लिया गया था।उसे केवल इस आधार पर दोषी ठहराया गया है कि वह ट्रक का पंजीकृत मालिक था।ट्रायल कोर्ट/ निचली अदालत ने वाहन के पंजीकृत मालिक होने के नाते अपीलकर्ता पर बचाव का पूरा भार डाल दिया था।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वाहन का चालक और क्लीनर/खलासी गरीब होने के कारण मालिक की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी मात्रा में तस्करी का जोखिम नहीं उठाएंगे और अपीलकर्ता को अपना पक्ष स्पष्ट करना था।ट्रायल कोर्ट/ निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था।

12. इस मामले में, अपीलकर्ता को दोषी ठहराते समय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई प्राथमिक त्रुटि यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मूलभूत तथ्यों को साबित किए बिना अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उस पर जिम्मेदारी स्थानांतरित करने की चेष्टा की गई है। इसलिए, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है।

13. उपरोक्त कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त किया जाता है।अपीलार्थी के जमानत बांड का उन्मोचन हो जाता है।

_____, न्यायाधीश

(अभय एस. ओका)

_____, न्यायाधीश

(राजेश बिंदल)

नई दिल्ली।
25 अप्रैल, 2023
// वी जे - एम बी //

अस्वीकरणः– स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।